सत्यमेव जयते

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

दिशा-निर्देश

केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

2021-22 से 2025-26

अंतर्वस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	परिचय	
2	योजना की मुख्य विशेषताएं	
2.1	दायरा	
2.2	पात्रता की शर्तें	
3	योजना के तहत कवर किए गए विषय और स्लॉट	
3.1	वित्तीय सहायता के साथ पुरस्कार की अवधि	
3.2	छात्रवृत्ति का मूल्य	
4	चयन प्रक्रिया	
4.1	पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन	
4.2	पंजीकरण की प्रक्रिया	
4.3	आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज	
4.4	योग्यता सूची तैयार करना	
4.5	विशेषज्ञ समिति का गठन	
5	विदेश में भारतीय दूतावास/मिशन की भूमिका	
6	अन्य शर्तें	
7	पुरस्कार रद्द करना	
8	अभियोग	
9	योजना के प्रावधानों में परिवर्तन	

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

1. परिचय

यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत अनुसूचित जनजाति (एसटी) के मेधावी छात्रों को विदेशों के, प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। यह योजना विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों/मिशनों, विदेश मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के दिशानिर्देश के प्रावधान 2021-22 और उसके बाद से लागू हैं।

2. योजना की मुख्य विशेषताएं

2.1. दायरा

i. दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (परास्नातक, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च) करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसी भी विषय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम शामिल नहीं हैं।

ii. जनजातीय (एसटी) छात्रों को हर साल 20 पुरस्कार निम्नानुसार स्वीकृत किए जाएंगे:

क्र.सं.	श्रेणी	छात्रवृत्तियों की संख्या
1	अजजा (एसटी) उम्मीदवार	17
2	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)	03
	कुल	20

iii. यदि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए, उपरोक्त सूचीबद्ध श्रेणियों में से किसी एक के लिए निर्धारित सीमा तक सफल (उपयुक्त/पात्र) उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो उस वर्ष के पुरस्कार अन्य श्रेणी के लिए खुले रहेंगे।

iv. छात्रवृत्ति पुरस्कारों का 30% महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है। हालांकि, पर्याप्त महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, अप्रयुक्त स्लॉट पात्र पुरुष उम्मीदवारों के लिए खुले रहेंगे।

2.2. पात्रता की शर्तें

(i). योग्यता

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अंक और शैक्षिक योग्यता	चयन वर्ष की पहली जुलाई को अधिकतम आयु
1	पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च	55% अंक या प्रासंगिक मास्टर डिग्री समकक्ष ग्रेड में * पीएच.डी. सहित	38 वर्ष
2	पीएच.डी	प्रासंगिक मास्टर डिग्री में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड	35 वर्ष
3	स्नातकोत्तर उपाधि	प्रासंगिक स्नातक की डिग्री में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड।	32 वर्ष

नोट: स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में प्राप्त अंकों का मानदंड उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट की क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के रूप में पहले ही शीर्ष 1,000 संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है।

(ii). एक परिवार से एक बच्चे को और एक बारगी सहायता

एक ही माता-पिता के एक से अधिक बच्चे पात्र नहीं होंगे और उम्मीदवार को इस आशय का एक स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करना होगा। एक व्यक्ति केवल एक पुरस्कार के लिए पात्र है और योजना के तहत दूसरी बार किसी अन्य पुरस्कार या समान/उच्च स्तर के पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

(iii). आय का मानदंड

छात्रवृत्ति का भुगतान उन छात्रों को किया जाएगा जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 6,00,000/- रुपये (छह लाख रुपये मात्र) से अधिक नहीं है।

पारिवारिक आय की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी: -

I. ऐसे मामले में जहां पिता और माता दोनों कार्यरत हैं, सभी स्रोतों से उन दोनों की

संयुक्त आय को कुल पारिवारिक आय की गणना में शामिल किया जाएगा।

II. यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य, पिता और माता के अलावा, एक कमाऊ सदस्य है, तो उसकी आय को कुल पारिवारिक आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

III. यदि माता-पिता में से केवल एक जीवित है, तो कुल पारिवारिक आय पर विचार करने के लिए उस माता-पिता की आय को ध्यान में रखा जाएगा। यदि अन्य सहोदर या परिवार का सदस्य कमाने वाला सदस्य है, तो उनकी आय को कुल पारिवारिक आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

IV. एक अनाथ के मामले में, एक अभिभावक द्वारा समर्थित, आय मानदंड लागू नहीं होगा।

नोट *1: आय की परिभाषा - आय का अर्थ सकल आय है जिसमें आयकर अधिनियम में उपलब्ध छूट और कटौतियों के बिना सभी स्रोतों से आय शामिल है।*

नोट *2: आय प्रमाण पत्र केवल एक ही बार अर्थात पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय जमा कराना आवश्यक है जो पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए मान्य होगा।*

नोट 3: प्रवेश के समय जमा कराया गया आय प्रमाण पत्र उसी वर्ष लिया जाना चाहिए जिस वर्ष में प्रवेश लिया गया हो। वेतनभोगी कर्मचारी के मामले में पात्रता के प्रयोजन के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की आय पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई उम्मीदवार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए नए सिरे से आवेदन करता है, तो पारिवारिक आय के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय के विवरण की आवश्यकता होगी।

3.0. योजना के अंतर्गत आने वाले विषय और स्लॉट

वे विषय/अध्ययन क्षेत्र जिनमें छात्र विदेश में पढ़ाई का विकल्प चुन सकते हैं और पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के तहत उपलब्ध स्लॉट की संख्या नीचे दी गई है: -

अध्ययन क्षेत्र	**अध्ययन के क्षेत्र के लिए स्लॉट की संख्या**
विशुद्ध/अनुप्रयुक्त विज्ञान/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/गणित (एसटीईएम)	10
प्रबंधन, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून	04
कृषि / चिकित्सा	04
मानविकी / सामाजिक विज्ञान / ललित कला	02

3.1. वित्तीय सहायता के साथ पुरस्कार की अवधि:

पाठ्यक्रम/अनुसंधान पूरा होने तक या पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि, जो भी पहले हो, तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अधिकतम अवधि
1	पोस्ट-डॉक्टोरल रिसर्च	2 साल
2	पीएच.डी	4 साल (चार साल)
3	स्नातकोत्तर उपाधि	पाठ्यक्रम के प्रकार और अवधि के आधार पर 1 या 2 वर्ष (एक/दो वर्ष)।

नोट: यदि उम्मीदवार ऊपर उल्लिखित पाठ्यक्रमों के स्तरों के लिए पाठ्यक्रम पूरा होने पर निर्धारित अवधि के बाद भारत वापस आने का फैसला करता है तो पश्चवर्ती अवधि के लिए रहने पर विस्तार (अनुमति)**,** भारत लौटने के लिए हवाई मार्ग को छोड़कर किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के बिना होगा।

3.2. छात्रवृत्ति का मूल्य

क्र.सं.	छात्रवृत्ति घटक	विवरण
1	वार्षिक रखरखाव भत्ता	सभी स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए रखरखाव भत्ता यूनाइटेड किंगडम में पाउंड स्टर्लिंग 9,900 (£ नौ हजार नौ सौ केवल); यूएस में/यूएसडी 15,400 ($ पंद्रह हजार चार सौ केवल) वार्षिक। अन्य देशों के लिए, यूएसडी या समकक्ष दरें लागू होंगी।
2	वार्षिक आकस्मिकता और उपकरण भत्ता	पुस्तकों/आवश्यक उपकरणों/अध्ययन दौरे/थीसिस की टाइपिंग और जिल्दसाजी आदि के लिए वार्षिक 'आकस्मिकता' और 'उपकरण भत्ता' यूएस में उम्मीदवारों के लिए और यूनाइटेड किंगडम में उम्मीदवारों के लिए क्रमश: $ 1532 (यूएस डॉलर एक हजार पांच सौ बत्तीस केवल) होगा। £ 1116 (पाउंड स्टर्लिंग एक हजार एक सौ सोलह केवल) होगा। अन्य देशों के लिए, यूएस डॉलर या समकक्ष दरें लागू होंगी।
3	चुनाव कर	यथा लागू, वास्तविक भुगतान किया जाएगा
4	वीजा फीस	वास्तविक वीजा शुल्क का भारतीय रुपये में भुगतान किया जाएगा।
5	आकस्मिक यात्रा व्यय	20 अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपये में इसके समतुल्य तक के आकस्मिक यात्रा व्यय की अनुमति है।
6	फीस	फीस पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्र द्वारा वास्तविक रूप से अनिवार्य रूप से भुगतान की जाने वाली ट्यूशन फीस और अन्य गैर-वापसी योग्य।
7	चिकित्सा बीमा प्रीमियम	वास्तविक प्रभारित शुल्क स्वीकार्य होगा। हालांकि, संबंधित देश में भारतीय दूतावास/मिशन छात्र द्वारा चुने गए/दावे किए गए मेडिकल प्रीमियम के औचित्य की जांच करेगा।
8	हवाई मार्ग की लागत	भारत से शैक्षिक संस्थान के निकटतम स्थान और वापस भारत के लिए वास्तविक आधार पर हवाई यात्रा अनुदान, इकोनॉमी क्लास और सबसे छोटे मार्ग से सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर प्रदान किया जाएगा।
9	स्थानीय यात्रा	बंदरगाह पर अवतरण से अध्ययन के स्थान तक और

क्र.सं.	छात्रवृत्ति घटक	विवरण
		वापसी के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल किराया; दूर-दराज के स्थान रेल से नहीं जुड़े होने की स्थिति में, निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन तक का बस किराया, फेरी द्वारा क्रॉसिंग का वास्तविक शुल्क, निकटतम रेल-सह-वायु स्टेशन तक का हवाई किराया अनुज्ञेय होगा।

नोट 1: -

क. महामारी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में, यदि कोई एनओएस छात्रवृत्ति धारक भारत आता है और ऑनलाइन पढ़ाई करता है, तो मास्टर डिग्री के लिए जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) की दर के अनुसार रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन अध्ययन अवधि के दौरान एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप की योजना के तहत स्वीकार्य पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट पाठ्यक्रम के लिए सीनियर रिसर्च फेलो (एसआरएफ) की दर लागू होगी। जब पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऑन-कैंपस अध्ययन जारी रखने के लिए विदेश में विश्वविद्यालय में शामिल होता है तो विदेशी दरों के अनुसार रखरखाव भत्ता फिर से शुरू किया जा सकता है।

ख. यदि कोई एनओएस छात्रवृत्ति धारक/प्राप्त व्यक्ति पाठ्यक्रम की आवश्यकता के भाग के रूप में, क्षेत्र अध्ययन के लिए भारत आता है, तो उसे संबंधित संस्थान और भारतीय दूतावास से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी, यह उचित ठहराते हुए कि भारत में क्षेत्र अध्ययन पाठ्यक्रम के सफल समापन का एक अभिन्न अंग है। उम्मीदवार पोर्टल पर विवरण अपडेट करके मंत्रालय को सूचित करेगा। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना के तहत छात्रवृत्ति धारक को क्षेत्रीय अध्ययन की अवधि के लिए मंत्रालय के स्वीकार्य पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट पाठ्यक्रम के लिए मास्टर डिग्री और एसआरएफ के लिए रखरखाव भत्ता जेआरएफ की दर के अनुसार प्रदान किया जाएगा। विदेशी दरों के अनुसार रखरखाव भत्ता तभी फिर से शुरू किया जाएगा जब पुरस्कार विजेता भारत में क्षेत्र अध्ययन पूरा करने के बाद विदेश में अपने विश्वविद्यालय में शामिल होता है। ऐसी स्थिति में, अभ्यर्थी पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए केवल एक बार आने-जाने के हवाई किराए का हकदार होगा।

ग. छात्र के भारत में रहने की अवधि के लिए, विदेशी दरों के अनुसार विदेश में देय भरण-पोषण भत्ता आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।

नोट 2: एक बार छात्रवृत्ति के लिए विचार किए गए छात्र उसी अध्ययन के लिए केंद्र/राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

नोट 3. संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास/मिशन, संस्थान और छात्र को उपरोक्त सूचीबद्ध वित्तीय सहायता का भुगतान करेगा और जनजातीय कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय को इसकी प्रतिपूर्ति करेगा।

नोट **4: यदि छात्र पाठ्यक्रम के बीच में भारत आता है, तो उसे भारतीय मिशन और अध्ययन संस्थान को विधिवत सूचित करना होगा। हालांकि, छात्रवृत्ति धारक (प्राप्तकर्ता) को यात्रा के लिए आने-जाने का खर्च वहन करना होगा और विदेश में वह अपने शैक्षणिक संस्थान के स्थान से दूर रहने की अवधि के लिए योजना के तहत भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने का भी हकदार नहीं होगा। भरण-पोषण भत्ता भारतीय मिशन द्वारा उसी संस्थान में उसी पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने की तारीख से फिर से शुरू किया जाएगा।**

4.0. चयन प्रक्रिया

4.1. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन

योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनओएसपी) (overseas.tribal.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे। पोर्टल के खुलने और बंद होने की घोषणा रोजगार समाचार, अन्य प्रमुख समाचार दैनिकों, संस्थानों/विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों और मंत्रालय के पोर्टल पर विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अनुदेश मैनुअल को पढ़ लें और किसी भी प्रश्न के लिए पोर्टल पर दिए गए हेल्पडेस्क मॉड्यूल को देख सकते हैं।

4.2. पंजीकरण की प्रक्रिया:

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले, उम्मीदवारों को एनओएसपी और डिजी लॉकर पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य है। आवेदक को डिजी लॉकर के माध्यम से दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

4.3. आवश्यक दस्तावेज भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र भरना

पंजीकरण के लिए आवेदक को पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

- नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण-पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पीवीटीजी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- जन्म तिथि के समर्थन में 10वीं का प्रमाण-पत्र/मार्कशीट
- स्नातक/स्नातकोत्तर मार्कशीट [% में कुल अंक]/सीजीपीए/पीएच. डी पूर्णता प्रमाण-पत्र के मामले में समकक्ष% अंक, जहां भी लागू हो (संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले प्रतिशत में कुल अंकों की रूपांतरण शीट)
- प्रवेश की पेशकश
- आय प्रमाण-पत्र

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय पात्रता के सभी मानदंड पूरा करते हैं। यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार के पास पात्रता नहीं है या उम्मीदवार अपनी पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने में विफल रहता है, तो आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

4.4. वरीयता (मेरिट) सूची तैयार करना

निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों की, पात्रता मानदंडों के आधार पर जांच की जाएगी। ऊपर पैरा 3.3 में उल्लिखित अध्ययन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। पात्र आवेदनों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा:

क. पहली प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को दी जाएगी, जिन्होंने पहले ही प्रवेश प्राप्त कर लिया है और शीर्ष 1,000 रैंक वाले विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों (नवीनतम क्यूएस विश्व रैंकिंग के अनुसार) में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। योग्यता सूची संस्थान द्वारा की गई रैंकिंग के आधार पर तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की क्यूएस रैंकिंग के बीच टाई होने की स्थिति में, उच्च अध्ययन के लिए वरीयता, योग्यता परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा आवेदित छात्रवृत्ति के लिए प्राप्त अंकों/ग्रेड के आधार पर तय की जाएगी।

नोट**: -**

यदि छात्र चयनित होता है, तो छात्र पुरस्कार पत्र जारी करने की तिथि से संभावित रूप से छात्रवृत्ति का हकदार होगा। छात्र द्वारा विश्वविद्यालय को पहले से भुगतान किए गए शुल्क और बीमा आदि पर किए गए खर्च के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। हालांकि, रखरखाव और आकस्मिकता और उपकरण भत्ता शेष वित्तीय वर्ष के लिए पुरस्कार पत्र जारी करने की तिथि से महीनों की संख्या के अनुपात में दिया जाएगा। बाद के वर्षों के लिए, छात्र पाठ्यक्रम की शेष अवधि (पैरा 3.4 में उल्लिखित अनुसार) के लिए सभी शुल्क और अन्य खर्चों (पैरा 3.5 में उल्लिखित) को कवर करने वाली छात्रवृत्ति का पात्र होगा।

ख. यदि छात्रों का पर्याप्त संख्या में चयन नहीं किया जाता है, जैसा कि ऊपर पैरा (क) में उल्लेख किया गया है, तो मेरिट लिस्ट उन उम्मीदवारों से तैयार की जाएगी, जिन्होंने पहले से ही शीर्ष 1,000 रैंक वाले विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों से प्रारंभिक पत्र/प्रवेश का प्रस्ताव प्राप्त कर लिया है (वैश्विक क्यूएस रैंकिंग के अनुसार) और अभी शामिल होना बाकी है। मेरिट लिस्ट उसी तरह से तैयार की जाएगी जैसा कि ऊपर पैरा 'क' में बताया गया है; अर्थात, संस्थान की रैंकिंग के आधार पर और विश्वविद्यालय / संस्थान की रैंकिंग में बराबरी के मामले में, योग्यता परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक / के आधार पर।

ग. यदि उपरोक्त पैरा "क" और "ख" के अनुसार पर्याप्त छात्रों का चयन नहीं किया जाता है, तो रिक्त स्लॉट मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से, शेष-पात्र उम्मीदवारों में से भरे जाएंगे। जीआरई/जीमैट/टीओएफईएल आदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

नोट: अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति पत्र जारी करने की तारीख से 2 **साल के भीतर** प्रवेश सुरक्षित करने और विदेश में शीर्ष **1,000** रैंक वाले विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों (विश्व क्यूएस रैंकिंग के अनुसार) में शामिल होने की आवश्यकता होगी। इस निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर**,** पुरस्कार स्वतः रद्द हो जाएगा।

नोट:

घ. यदि, पैरा "ख" और "ग" के अनुसार चुने गए उम्मीदवार प्रवेश सुरक्षित नहीं करते हैं और चयन पत्र जारी होने की तारीख से **2** साल के भीतर विदेश में शीर्ष 1,000 रैंक वाले विदेशी संस्थानों / विश्वविद्यालयों में शामिल हो जाते हैं, ऐसी खाली सीटें ऐसी समय अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद अगले चयन वर्ष में ले जायी जाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि छात्रवृत्ति की अनंतिम तिथि 01.09.2019 है, तो उम्मीदवार को **30.9.2021** तक नवीनतम प्रवेश प्राप्त करना आवश्यक है। यदि छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश लेने में विफल रहते हैं, तो ऐसे स्लॉट को चयन वर्ष **2021-22** में ले जाया जाएगा।

ङ. उपरोक्त पैरा "क" के अनुसार चयनित उम्मीदवारों का सत्यापन संबंधित देश में भारतीय दूतावास/मिशन के माध्यम से किया जाएगा। पैरा "ख" और "ग" के अनुसार लघु-सूचीबद्ध उम्मीदवारों का सत्यापन संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के माध्यम से किया जाएगा।

च. शॉर्ट-लिस्ट किए गए उम्मीदवार जिन्हें विशेषज्ञ समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना आवश्यक है, वे निवास स्थान से साक्षात्कार के स्थान तक सबसे छोटे मार्ग से द्वितीय श्रेणी के ट्रेन किराए/बस किराए की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

छ. योग्य उम्मीदवारों की अनंतिम मेरिट सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी।

4.5. विशेषज्ञ समिति का गठन:

मंत्रालय, डोमेन विशेषज्ञों के साथ एक चयन समिति का गठन करेगा। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को इकॉनोमी वर्ग हवाई किराया और होटल आवास की दर और **डी.ए.,** उनके संबंधित विभाग/विश्वविद्यालय/संस्थान में पात्रता के अनुसार उन्हें अनुज्ञेय होगा। इसके अलावा सदस्यों को **2500 रुपये** प्रतिदिन मानदेय दिया जाएगा। यदि समिति के सदस्य नई दिल्ली से हैं तो बैठक शुल्क जिसमें यात्रा भत्ता रुपये से अधिक न हो, उनकी भागीदारी के प्रत्येक दिन के लिए **5000/-** प्रतिदिन देय होगा।

5. विदेश में भारतीय दूतावास/मिशन की भूमिका

उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति जारी करने से पहले, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास/मिशन उम्मीदवार के समग्र प्रदर्शन/व्यवहार को देखेंगे।

i. छात्रों के साथ बेहतर जुड़ाव और उनकी पढ़ाई की स्थिति के लिए छात्र हर 6 महीने में एक बार, एनओएस पोर्टल पर प्रगति रिपोर्ट प्रदर्शित करेगा। विदेश स्थित भारतीय मिशन उस विश्वविद्यालय/संस्थान से जिसके लिए योजना के तहत पुरस्कार दिया गया था

प्रदर्शन रिपोर्ट प्राप्त करेगा जहां पुरस्कार विजेता अध्ययन कर रहा है और उस पर जानकारी और अन्य प्रासंगिक जानकारी रिपोर्ट में शामिल होने, अध्ययन बंद करने आदि को निर्धारित प्रारूप के अनुसार मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल (https://overseas.tribal.gov.in/) पर अद्यतन करेगा।

ii. मिशन छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले के किसी भी गंभीर प्रतिकूल घटनाक्रम के बारे में इस मंत्रालय को सूचित करेगा जिसके लिए पुरस्कार को आगे जारी रखने या अन्यथा जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

iii. देश छोड़ने से पहले, छात्र को भारतीय मिशन की अनुमति लेनी होगी और मंत्रालय को पोर्टल पर सूचित करना होगा।

iv. पैरा 4.4 (ङ) में उल्लिखित गतिविधियों के लिए भारतीय मिशन भी जिम्मेदार होगा।

6. अन्य शर्तें

i. चयनित उम्मीदवारों को प्रस्थान से पहले ऐसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और ऐसे समझौते करने होंगे**,** जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा। यदि उम्मीदवार पहले से ही विदेश में रह रहा है**,** तो उसे भारतीय मिशन द्वारा छात्रवृत्ति जारी करने से पहले सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और ऐसे समझौते करने होंगे।

ii. उम्मीदवार अध्ययन या अनुसंधान के पाठ्यक्रम और जिस संस्थान के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है, उसे नहीं बदलेगा।

iii. जिस देश में वह अध्ययन करना चाहता/चाहती है, उसके लिए उपयुक्त वीजा प्राप्त करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी।

iv. यदि पुरस्कृत व्यक्ति को विदेश में भारतीय मिशन या किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से अधिक भुगतान प्राप्त हुआ है, तो वह इसे विदेश में भारतीय मिशन को वापस कर देगा।

v. पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद, पुरस्कार प्राप्त करने वाले को अपनी वापसी टिकट बुक करने से पहले मंत्रालय के एनओएस पोर्टल के पूर्व छात्रों के मॉड्यूल में अध्ययन के संक्षिप्त विवरण के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने का विवरण अपलोड करना होगा।

7. पुरस्कार रद्द करना

निम्नलिखित में से किसी भी मामले में छात्रवृत्ति का पुरस्कार रद्द कर दिया जाएगा और कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही, जनजातीय कार्य मंत्रालय पहले से भुगतान की गई पुरस्कार राशि की वसूली कर सकता है:

i. पुरस्कार विजेता ने झूठे दस्तावेज जमा करके या योजना को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रवेश नहीं लिया है;

ii. जिस कोर्स के लिए उसका चयन किया गया है, उसे सफलतापूर्वक पूरा किए बिना पुरस्कार विजेता भारत लौट आया।

नोट: यदि अस्वस्थता के कारण पाठ्यक्रम को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे विदेश में भारतीय मिशन द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

iii. छात्र किसी भी अवैध गतिविधि या राष्ट्र-विरोधी गतिविधि या कदाचार में शामिल है या मादक पदार्थों के उपयोग से जुड़ा है या मेजबान देश के कानून के उल्लंघन में शामिल है या उम्मीदवार के खिलाफ किसी भी पुलिस मामले की स्थिति में है।

8. अभियोग

भारत में इस योजना से उत्पन्न मामलों पर कोई भी मुकदमा संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में स्थित अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। विदेशों में होने वाले मुकदमों को विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा निपटाया जाएगा।

9. योजना के प्रावधानों में परिवर्तन:

जनजातीय कार्य मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से इस योजना के प्रावधानों में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

* * * * * * * * * *